अध्याय 2

एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों का अधिदेश

अध्याय 2 एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों का अधिदेश

2.1 एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों की मुख्य विशेषताएं (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू)

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 4(1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार

i.) 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को **सकल घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत*** तक सीमित करने के लिए उचित उपाय करे।

ii.) वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि

- सामान्य सरकारी देनदारी**, सकल घरेलू उत्पाद के साठ *प्रतिशत*** से अधिक न हो।
- केंद्र सरकार की देनदारी **सकल घरेलू उत्पाद के चालीस *प्रतिशत*** से अधिक न हो।

iii.) किसी भी वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर किसी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटियां **सकल घरेलू उत्पाद का आधा *प्रतिशत*** से अधिक न दी जाए|

iv.) यह प्रयास करें कि (i) और (ii) में निर्दिष्ट वित्तीय लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य तिथि से आगे न जाए।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 के तहत, कुछ [6]परिस्थितियों को छोड़कर, अधिनियम केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से उधार लेने की अनुमति नहीं देता है।

वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, अर्ध-वार्षिक आधार पर, बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और संसद के दोनों सदनों के समक्ष अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार ऐसी समीक्षाओं के परिणाम प्रस्तुत करेंगे।

जनहित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय और अनुदान की मांग के लिए एफ आर बी एम नियम 6 के तहत अनिवार्य पांच प्रकटीकरण फॉर्म (डी-1 से डी-5)[7] भी रखेगी।

---

[6] नकद प्राप्ति, पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करना। प्राथमिक निर्गमों की सदस्यता और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा, आदि के आधार पर और इसके अतिरिक्त बाजार में खुले बाजार के संचालन।

[7] प्रकटीकरण प्रपत्र (डी 1) - कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं हुआ, (डी 2) - गैर-कर राजस्व का बकाया, (डी 3) - सरकार द्वारा दी गई गारंटी, (डी 4) - संपत्ति रजिस्टर, और (डी 5) - वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता।

2.2 एफ आर बी एम अधिनियम से लिया गया लेखापरीक्षा अधिदेश

मई 2012 में एफ आर बी एम अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से, एक नई धारा 7ए[8] डाली गई थी जिसे सरकार द्वारा एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की सी ए जी द्वारा आवधिक समीक्षा करने के लिए निर्धारित किया गया था। इसके बाद, अक्टूबर 2015 में, एफ आर बी एम नियमों में एक नया नियम 8 शामिल किया गया था, जिसमें सी ए जी को वित्तीय वर्ष 2014-15 से वार्षिक समीक्षा करने और अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का प्रावधान था, जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा| इस तरह की समीक्षा में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

क. अधिनियम और नियमों में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की उपलब्धि और अनुपालन का विश्लेषण, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, मैक्रो -आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यम अवधि के व्यय रूपरेखा विवरण|

ख. अधिनियम और नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और मैक्रो आर्थिक मानकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण|

ग. अधिनियम और नियमों में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि पर असर डालने वाले राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति या देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियां|

घ. अपने वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए खुलासे का विश्लेषण।

तदनुसार, सी ए जी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 **(2016 की प्रतिवेदन संख्या 27)** के लिए, वित्तीय वर्ष 2015-16 **(2017 की प्रतिवेदन संख्या 32**) के लिए, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए **(2018 की प्रतिवेदन संख्या 20)** और वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 **2021 की प्रतिवेदन संख्या 6** की संयुक्त अवधि के लिए एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों के अनुपालन पर प्रतिवेदन तैयार की है और संसद के दोनों सदनों में रखा गया है।

2.3 लेखापरीक्षा का दायरा, मानदंड और साक्ष्य

2.3.1 लेखापरीक्षा का दायरा और मानदंड

यह प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों के अनुपालन को कवर करती है और निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है।

[8] समीक्षा प्रतिवेदन रखना - केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को आवश्यकतानुसार समय-समय पर समीक्षा का कार्य सौंप सकती है, इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन और ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी।

क. एफ आर बी एम लक्ष्य: चौथे संशोधन के अनुसार **आकृति 1.1 में दिए गए लक्ष्य** वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू थे। तदनुसार, लेखापरीक्षा एफ डी और ऋण (केंद्र सरकार और सामान्य सरकारी ऋण) के लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित थी।

ख. एफ आर बी एम अधिनियम 2003, एफ आर बी एम नियम 2004 के साथ पठित - अंतिम बार 2018 में संशोधित किया गया|

ग. नीति विवरण जैसे मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण, ऋण पर स्थिति पत्र, बजट भाषण, आदि।

2.3.2 लेखापरीक्षा साक्ष्य

प्रतिवेदन केंद्र सरकार के वित्त लेखा (यू जी एफ ए) 2019-20, एक नज़र में बजट (बी ए जी) 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (ए एफ एस) के आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी एस ई) और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ई बी आर) के संसाधनों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यय प्रोफाइल के विवरण 25 और 27 में प्रदर्शित होने वाले डेटा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमाणित वार्षिक खाते और केंद्रीय द्वारा जारी जी डी पी डेटा सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ) समय-समय पर (और नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार अद्यतन), विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया है।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम के अनुपालन पर लेखापरीक्षा मुख्य रूप से आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में की गई थी जो एफ आर बी एम अधिनियम के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां विभाग को समय-समय पर उत्तरों/टिप्पणियों के लिए जारी की गई थीं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मसौदा प्रतिवेदन 24 अक्टूबर 2021 को जारी की गई थी और उसके बाद मंत्रालय के 14 फरवरी 2022 के विस्तृत उत्तरों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था, जिसके बाद 09 मार्च 2022 को आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तृत चर्चा हुई।